UPUN010004262026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:– 02, उन्नाव

प्रकीर्ण वाद संख्या:– 38/2026

श्रीमती लाली बनाम राजेश राठौर आदि

दिनांक:– 02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा:– 173(4) बी०एन०एस०एस० मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी श्रीमती लाली पत्नी डगरू निवासिनी ग्राम नेवलगंज मडैया थाना हसनगंज जिला उन्नाव की अनुसूचित जाति (पासी) की महिला है। घटना दिनांक 18.01.2026 दिन रविवार की शाम 06:30 बजे की है प्रार्थिनी महराजगंज से वापस अपने घर आ रही थी तभी गली में घर के पास पहले से घात लगाकर संगठित तरीके से बैठे राजेश राठौर, संजीत राठौर, शोभित राठौर पुत्र संजीत, राज कुमार राठौर, सूरज राठौर पुत्रगण प्रेमचन्द्र राठौर ने प्रार्थिनी को देखते ही जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए गंदी गंदी गाली देकर कहने लगे कि साली पासिन मादरचोद कहीं कि रूक तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ कहते हुए प्रार्थिनी को लाठी डण्डों से लात घूसों से मारा पीटा और रोड़ पर पटक दिया जिससे प्रार्थिनी बेपर्द हो गयी जिस कारण प्रार्थिनी की लज्जा भंग हो गयी। चीख पुकार सुनकर आस पडोस के लोग बचाने के लिए दौडे तो लोगों को आता देख उपरोक्त दबंग ऐलानियां धमकी देते हुए कहा कि साली मादरचोद पासिन कहीं कि आज तो तू बच गयी अगर तूने मेरे ऊपर जो भी मुकदमे लिखवाये है अगर वापस नहीं लिया तो तुझे व तेरे पति को जान से मार देंगे गांव में रहने नहीं देंगे तेरी घर व जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। तू कहीं भी शिकायत करले पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पायेगी पुलिस को हम लोग पैसे देते है। उपरोक्त घटना की बावत प्रार्थिनी थाना हाजा में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया परन्तु थाना हाजा की पुलिस ने कोई सुनवाई न की और न ही प्रार्थिनी का डॉक्टरी परीक्षण कराया। प्रार्थिनी अपनी चोटों का डॉक्टरी परीक्षण दिनांक 19.01.2026 को जिला अस्पताल उन्नाव में स्वयं कराया। उपरोक्त दबंगों द्वारा प्रार्थिनी के साथ पूर्व में भी मारपीट की गयी जिसका मुकदमा श्रीमान् जी की न्यायालय में विचाराधीन है। जिसको वापस लेने हेतु उपरोक्त घटना कारित की गयी है। प्रार्थिनी ने थाना कोतवाली हसनगंज उन्नाव में प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तब प्रार्थिनी ने श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को दिनांक 22.01. 2026 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी, तब प्रार्थिनी विवश होकर श्रीमान् जी के समक्ष न्याय पाने हेतु

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के लिए थानाध्यक्ष थाना हसनगंज, जिला उन्नाव को आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए गए है।

संबंधित थाना हसनगंज से आख्या तलब की गई। थाना से प्राप्त उप–निरीक्षक राम औतार की आख्या के अनुसार प्रार्थना–पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर **Mrs Priyanka Srivastava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ–पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाए क्योंकि अधिकांश मामले वैवाहिक, पारिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना–पत्र मे दिए गए तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना–पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन–बनाम–मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ–बनाम–आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा:– 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** में भी कथन किया गया है कि the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial,

the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Ofcourse, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 18.01.2026 दिन रविवार की शाम 06:30 बजे को जब प्रार्थिनी अपने घर आ रही थी तभी गली में घर के पास पहले से घात लगाकर बैठे विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी को देखते ही जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए गंदी–गंदी गाली देने व लाठी डण्डों से लात–घूसों से मारने–पीटने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नए तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना–पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना–पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा:–223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 10.07.2026 को पेश हो।

<u>दिनांक:– 02.06.2026</u>

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:–02, उन्नाव